न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 136/2024 दायर दिनांकः 01.10.2024

उनवान

1. छीतरलाल पि. नानूराम जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
2. जीवन कटारा पि. छीतरलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल

— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. कन्हीराम पि. हरिसिंह जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
2. केसरबाई पुत्री कंवरलाल जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
3. गुडडीबाई पुत्री हरिसिंह जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
4. गायत्रीबाई पत्नि गोपाललाल जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
5. जमनाबाई पत्नि हरिसिंह जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
6. धापूबाई पत्नि कंवरलाल जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
7. निर्मलाबाई पुत्री गोपाललाला जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
8. परमानन्द पि. हरिसिंह जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
9. भगवानसिंह पि. कंवरलाल जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
10. मंजुबाई पुत्री गोपाललाल जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
11. रेखाबाई पुत्री हरिसिंह जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
12. श्यामलाल पि. कंवरलाल जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
13. संतोषबाई पुत्री हरिसिंह जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
14. राज.सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
उपस्थिति — वकील प्रार्थीगण — श्री हुकुमचन्द कुमावत
वकील अप्रार्थीगण — श्री पूरीलाल राठौर

निर्णय दिनांक 14.02.2025

पत्रावली माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 25.07.202[illegible] को मामला में पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:20:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि यह कि यह कि ग्राम गुराडिया तहसील सुनेल जिला झालावाड में स्थित आरानी खाता संख्या नया 56 पुराना 75 खसरा संख्या 457 रकबा 0.5817 हे० भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की स्थित है इस आराजी पर प्रार्थीगण काश्त करते है आराजी प्रार्थीगण के पिता दादा के समय से ही काश्त होती है। यह कि प्रार्थीगण के खातेदार की आराजी खसरा संख्या 457 रकबा 0.5817 हे० भूमि पर पहुंचने का रास्ता सरकारी रास्ता खसरा संख्या 500 पर उत्तर दिशा से चलकर यह रास्ता खुरंज सडक बनी है। इस रास्ते में खसरा संख्या 461 पर पूर्व से पश्चिम होकर पुनः उत्तर से दक्षिण दिशा मे खसरा संख्या 461 में चलकर खसरा संख्या 457 में पहुंचता है यह रास्ता सनातनी होकर एक मात्र रास्ता है इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य सुगम रास्ता मौजूद नहीं है रास्ता चालू है परन्तु प्रतिवादीगणो ने तारखम्भे लगकार रास्ते की चौडाई जो 15 फीट है इसे संकरा कर दिया इस कारण सुविधा से बिना किसी विवाद झगडा के प्राथीगण के ट्रेक्टर, ट्राली, बैलगाडी कृषि औजार, जानवर, पैदल जन आदि पहुंचने में परेशानी उत्पन्न होती है रास्ता वर्तमान से लगभग 5–6 फीट की चौडाई में रखा है शेष रास्ते पर तार खम्भे लगाकर संकरा किया है उक्त वर्णित रास्ते को सुविधा की दृष्टि से संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट अ१ मे लाल रंग से दर्शाया है। यह कि प्रार्थीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है तथा रास्ते के उपयोग में बाधा उत्पन्न करते है टेक्टर ढाली निकालने में विवाद करते है तार–खम्भे को नुकसान कारित नही होता है। इसके बावजूद भी विवाद करने पर तैयार रहते है इन समस्त विवादो से बचने के लिए तथा परिवादी का ग्राम वासियो अप्रार्थीगण से शान्ति सोहार्द का वातावरण बना रहे इस कारण प्रार्थीगण 15 फीट चौडाई का रास्ता ए से बी बिन्दू तक की पूर्ण लम्बाई में डी०एल०सी० दर से प्राप्त करना चाहते है। प्रार्थीगण डी०एल०सी० दर से भूमि का मुआवजा राशि चुकाकर रास्ता प्राप्त करना चाहते है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही है तथा यही एक मात्र रास्ता है जो सुगमता से खसरा संख्या 457 तक पहुंच सकता है इस कारण [illegible] न्यायालय मे धारा 251 ए. आर०टी०एक्ट के अन्तर्गत [illegible] प्रार्थीगण को प्राप्त रास्ता भविष्य काल में काल[illegible] दर्ज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar
Meena
Date: 2025.03.24 11:20:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

अमल हो सके तथा हमेशा हमेशा का विवाद समाप्त हो सके तथा प्रार्थीगण अपने खसरा संख्या 457 पर सुविधानुसार काश्त कर सके। कृषि औजार. ट्रेक्टर ट्राली, उपज, बीज, खाद आदि पहुंचो सके लेकर आ सके जा सके, यह रास्ता काश्तकारी के लिए अति आवश्यक है। अन्य नाबालिग खातेदार है इस कारण उन्हे पक्षकारन् नही बनाया है। यह कि प्रार्थीगण ने अपने स्तर पर काफी प्रयास किये है ग्राम पंचायत गादिया से भी निवेदन प्रार्थना की है उनके द्वारा भी मौका देखा गया परन्तु विवाद का समाधान नही हो सका तथा लडाई झगडा की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पैदल जानवर, बैलगाडी, सामद के लिए रास्ता चालू रखा है तथा चौडाई 15 फीट से संकरा कर अप्रार्थीगण तार–खम्भे लगा दिये है इस कारण प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि धारा 251 ए आर०टी०एक्ट के तहत माननीय न्यायालय से रास्ता प्राप्त कर समस्त अवरोध हटाकर रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो सके। यह कि वाद कारण लगभग 6 माह पूर्व उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण ने तार– खम्भे लगाकर सनातनी रास्ते को 15 फीट से संकरा कर 56 फीट की चौडाई में कर दिया यही वाद कारण रहा है। यह कि विवादित भूमि रास्ता प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि ग्राम गुराडिया तहसील सुनेल में स्थिति होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि माननीय न्यायालय में धारा 251 ए. आर०टी०एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र की सुनवाई एवं निर्णय का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हैकि बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थीगण के खसरा संख्या 457 पर पहुंचने के लिए रास्ता 15 फीट की घोडाई का ए से बी स्थान पर पूर्ण लम्बाई चौडाई जरिये तहसीलदार सुनेल सीमाकंन करवा कर प्रार्थीगण से रास्ते के उपभोग में आनी वाली भूमि का मुआवजा डी०एल०सी दर से जमा करवा कर रास्ता अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण के दिलवा कर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज करने का आदेश/निर्णय पारित करने की कृपा करे अन्य न्यायोचित राहत जो भी उचित अतिरिक्त आवश्यक हो प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:20:24 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण माननीय न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 26.07.2024 की पालना में पुनः दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन/सूचना पत्र की गई। अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री पूरीलाल राठौर उपस्थित हुए।

3. माननीय न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 25.07.2024 में दिये गये दिशा निर्देश की पालना में <u>वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता</u> के संबंध में तहसीलदार सुनेल से पुनः मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्रांक 1175 दिनांक 26.11.2024 से जांच रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार मुताबिक भू अभि निरी/पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रकरण में पूर्व में ग्राम गुराडिया के आराजी ख.नं. 457 पर पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख.न. 461 की उत्तरी मेड पर 99x12 यानि 1188 वर्गफीट अर्थात 0.0110 है. व ख.नं. 461 की पश्चिमी मेड़ पर 346.5x12 यानि 4158 वर्गफीट अर्थात 0.0386 है. भूमि इस प्रकार ख.न. 461 में से कुल 0.0496 है. भूमि नवीन रास्ता कायमी हेतु दिया गया था। जो कि श्रीमान के आदेश दिनांक 06.07.2022 की पालना में यह रास्ता मौके पर तत्समय चालू करवा दिया गया था और वर्तमान में कोई विवाद नहीं है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रिपोर्ट मौके पर पढकर सुनाई गई एवं प्रार्थी अप्रार्थी के हस्ताक्षर लिये गये।

4. तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2022/552 दिनांक 06.07.2022 से **पूर्व में** मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया था कि उक्त प्रकरण में रास्ते की जांच हेतु ग्राम गुराड़िया के ख.नं. 457 रकबा 0.5817 है. जो कि छीतरलाल पुत्र नानूराम हि. 1/2 व जीवन कटारा पि. छीतरलाल के हि. 1/2 जाति भील सा. खातेदार दर्ज है। प्रार्थी उक्त ख.नं. पर पहुंचने के लिए ख.न. 461 की उत्तरी मेड व पश्चिमी मेड से चलकर पहूँचता है। मौके पर उक्त ख.नं. 461 में लगभग उत्तरी व पश्चिमी मेड के सहारे 6 फीट रास्ता बना हुआ है जो कि चालू है। ख.नं. 461 रकबा 1.2014 है. जो कि कन्हीराम पि. हरीसिंह हि. 1/42 जाति गुर्जर वगै. के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा 251ए के अन्तर्गत वाद दायर किया है। उत्त[illegible] रास्ते हेतु 99X12= 1188 वर्ग फीट लगभग (0.01104 है.) तथा पश्[illegible] मेड़ पर 346X12 = 4158 वर्ग फीट (0.03862 है.) इस प्रकार [illegible] खसरा नम्बर 461 में से 5346 वर्ग

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:20:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

फीट (0.04966 है.) रास्ते हैतु अपेक्षित है। जिसकी डीएलसी दर 567445 प्रति हैक्ट. सिंचित है।

5. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम गुराडिया का अप्रमाणित नजरी नक्शा दिनांक 05.05.2022 परिशिष्ट अ, ग्राम गुराडिया का खाता सं. 56, 21 की जमाबंदी सं. 2075–78 की नकल, नक्शा ट्रेस दिनांक 01.05.2022 एवं छीतरालाल व जीवन कटारा का आधारकार्ड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की।

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम गुराडिया तहसील सुनेल स्थित प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की खाता सं. 56 के ख.नं. 457 रकबा 0.5817 है. तक पहूॅच हेतु न तो कोई रिकार्डेड रास्ता है और न ही कोई वैकल्पिक कच्चा/पक्का रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण अस्थाई व्यवस्था के रूप में कुछ समय से सरकारी रास्ता खनं. 500 से होकर अप्रार्थीगण की कृषि आराजी ख.नं. 461 की उत्तरी मेड के सहारे करीब 92 मीटर होते हुए पुनः पश्चिमी मेड के सहारे करीब 347 मीटर चलकर अपनी आराजी ख.नं. 457 पर पहुॅचते आ रहे है लेकिन कुछ समय पहले अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते पर तार खम्बे लगाकर बंद कर दिया और लडाई झगडे पर आमदा हो गये। खेत तक पहूॅच हेतु रिकार्डेड रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण की आराजी के पडत रहने की संभावना है और खेत के पडत रहने से परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न होगी। अतः प्राथीगण को रास्ते की अति आवश्यकता है। प्रार्थीगण रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का डीएलसी की दुगुनी दरो से क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

7. अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि इस न्यायालय के इस प्रकरण में मूल आदेश दिनांक 06.07.2022 की तहसीलदार सुनेल द्वारा मौके पर पालना कराये जाने के बाद से मौके पर उक्त रास्ता चालू है लेकिन प्रार्थीगण ने आज दिनांक तक [illegible] वर्तमान डीएलसी दरो से क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं [illegible] है। अप्रार्थीगण [illegible] 15 फीट चौडा रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य [illegible] के आने जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:20:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

हेतु 10 फीट चौडा रास्ता पर्याप्त है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

8. अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली अवलोकन व मनन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना जरूरी है:–

(i) रिकार्डेड व वैकल्पिक रास्ता नहीं होना – प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम गुराडिया के ख.नं. 457, 461, 460 की हाल जमाबंदी सं. 2075–78 एवं पेश खसरा नक्शा दिनांक 01.05.2022, तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र कमांक राजस्व/2022/552 दिनांक 06.07.2022 से **पूर्व में** मौका रिपोट मय नजरी नक्शा एवं तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्रांक 1175 दिनांक 26.11.2024 से जांच रिपोर्ट आदि के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खाते एवं कब्जे की आराजी ख.नं. 457 तक पहूँच हेतु न तो कोई रिकार्डेड रास्ता है और न ही मौके पर कोई कच्चा/पक्का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण कुछ समय से व्यक्तिगत निवेदन पर बडी मुश्किल से व्यवस्तार्थ किसी अन्य खातेदार के खेत से फसल बोना जाहिर होता है। **अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा भी वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता के संबंध में न तो कोई आपत्ति पेश की गई और न ही कोई साक्ष्य/गवाह पेश किये गये है। अतः साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी पर पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।**

(ii) रास्ते की अति आवश्यकता होना– ग्राम गुराडिया की आराजी ख.नं. 457 रकबा 0.5817 है. की जमाबंदी सं. 2075–78 के अवलोकन से जाहिर है कि प्राथीगण हिस्सा 1/2–1/2 के रिकार्डेड सहखातेदार है अर्थात प्रार्थीगण एक खातेदार टीनेन्ट है। मद कम 8(i) में साबित है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर पहूँच हेतु न तो कोई भी रिकार्डेड रास्ता है और न ही कोई वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थीगण का कथन है कि वे अपनी आरजी ख.नं. 457 तक पहूँच हेतु अस्थाई व्यवस्था के रूप में कुछ समय से अप्रार्थीगण की कृषि आराजी ख.नं. 461 की उत्तरी मेड के सहारे होते हुये पश्चिमी मेड के सहारे चलकर अपनी आराजी ख.नं. 457 में पहुंचते है लेकिन कुछ समय पहले अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते पर तार लगाकर बंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:20:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कर दिया और लडाई झगडे पर आमदा हो गये जिससे विभिन्न कार्यो हेतु कृषि उपकरण लाने ले जाने व स्वयं के आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने से खेत के पडत रहने की संभावना होती है। प्रार्थीगण ने स्वयं कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा रास्ता बंद किये जाने के बाद वे अन्य काश्तकारो से निवेदन कर बडी मुश्किल से खेत को बो रहे है। तहसीलदार सुनेल ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण की आराजी पर पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। अन्य कोई कच्चा/पक्का वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा भी रास्ते की अति आवश्यकता संबंध में न तो कोई आपत्ति पेश की गई। यह सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। **अतः साबित होता है कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की नितान्त आवश्यकता है।**

(iii) सबसे लघुतम रास्ता होना:– प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम गुराडिया के ख. नं. 457, 461, 460 की हाल जमाबंदी सं. 2075–78 एवं पेश खसरा नक्शा दिनांक 01.05.2022, तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र कमांक राजस्व/2022/552 दिनांक 06.07.2022 से **पूर्व में** मौका रिपोट मय नजरी नक्शा एवं तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्रांक 1175 दिनांक 26.11.2024 से जांच रिपोर्ट आदि के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खाते एवं कब्जे की आराजी ख.नं. 457 तक पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता ख.नं. 461 में उत्तरी मेड के सहारे 99 मीटर लम्बा एवं पश्चिम मेड के सहारे 346.5 मीटर लम्बा होगा। धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के अधीन लघुत्तम पहूँच मार्ग दिये जाने के प्रावधान है। **अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम पहूँच मार्ग साबित होता है।** अप्रार्थीगण द्वारा 15 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है जबकि अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा 10 फीट चौडा रास्ता दिये जाने का [illegible] किया है। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा 12 फीट चौडा रास्ता दिया गया है। अतः 12 फीट चौडा रास्ता दिया जाना उचित होगा। **अतः रास्ते में दी जाने वाली भूमि का**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:20:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 99 फीट गुणा 12 फीट एवं 346.5 फीट गुणा 12 फीट अर्थात कुल 0.0496 है. होगा।

(iv) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः—प्रार्थीगण अपनी आराजी ख0नं0 457 तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की आने वाली भूमि रकबा 0.0496 है. का **वर्तमान डीएलसी की दुगनी दर** से भुगतान करने हेतु सहमत है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का ग्राम गुराडिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 461 से होकर नवीन रास्ता कायम किये जाने के संबंध में प्रार्थीगण का अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम गुराडिया तहसील सुनेल के ख.नं. 457 तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण के ख.नं. 461 की उत्तरी मेड के सहारे 99 फीट गुणा 12 फीट यानि 0.0110 है. एवं पश्चिम मेड के सहारे 346.5 फीट गुणा 12 फीट यानि 0.0386 है अर्थात कुल रकबा 0.0496 है. भूमि का नवीन रास्ता कायम किये जाने और प्रार्थीगण को भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में ख.नं. 461 की वर्तमान डीएलसी दर के दुगुनी राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किये जाने के आदेश दिये जाते है। क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान होने पर तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। नवीन रास्ता का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 16:20:24 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner